राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1 तेरहवीं विधान सभा के पहले सत्र का छठा दिवस संख्या 4

मंगलवार,

6 जनवरी, 2009

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्षः श्री जसवन्त यादव।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्वेश्चन ही बोल रहा हूं। क्वेश्चन नं0 1 ..(व्यवधान)....

विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय चिकित्सालयों में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पदस्थापन

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय चिकित्सालयों में स्त्री विशेषज्ञ के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के राजकीय चिकित्सालय में लम्बे समय से स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है? यदि हां, तो कब से तथा क्या सरकार उक्त पद पर पदस्थापना का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का जो आचरण रहा (व्यवधान)..

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): राठौड़ साहब, अभी मेरा तो पूछने दो। मेरा तो पूछने दो। अध्यक्ष महोदय, नहीं, मैं बैठा नहीं था। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अंदर जिस तरह से मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं, लोग मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं,

+++ (व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः यह आपका प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य, यह आपका प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)...

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या ऐसे रोगियों का इलाज करने के लिये डॉ0 जसवन्त यादव जैसा डॉक्टर ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्षः महामहिम राज्यपाल महोदय के संबंध में इस सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। (व्यवधान).. राज्यपाल महोदय के संबंध में सदन में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। अंकित नहीं हो। ..(व्यवधान).. अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 000

श्रीमती अनिता भदेलः 000

श्री ओम बिरलाः 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 000

श्री अध्यक्षः महामहिम राज्यपाल महोदय के संबंध में सदन में चर्चा करने की इजाजत नहीं है। ..(व्यवधान)... अंकित नहीं किया जाये।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावासः 000

श्री कालीचरण सराफः 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 000

श्रीमती किरण माहेश्वरीः 000

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यासः 000

श्रीमती प्रोमिला कुण्डाराः 000

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 000

श्री वासुदेव देवनानीः 000

श्री अध्यक्षः प्रश्नकर्ता, प्रश्नकर्ता। ..(व्यवधान)...

श्री महेन्द्र चौधरीः 000

श्री ओम बिरलाः 000

डॉ0 दिगम्बर सिंहः 000

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी: 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। ..(व्यवधान)... अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। ..(व्यवधान)... माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 000

श्री रोहिताश कुमार: 000

श्री हेमसिंह भड़ाना: 000

श्री वासुदेव देवनानी:000

श्री ओम बिरला: 000

श्रीमती अनिता भदेल: 000

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही आधे घण्टे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.06 बजे आधे घण्टे के लिये स्थगित हुई।)

Pcs/usc/1130/1d/06012009/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

(11.36 बजे)

पुन:समवेत होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया वह सिर माथे है, आपने कहा कि राज्यपाल महोदय के बारे में यहां पर चर्चा नहीं हो सकती लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इसी राजस्थान की विधान सभा में तीन दिन तक माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्दजी के व्यवहार पर चर्चा हुई, इसी विधान सभा में रामप्रसादजी लढ़्ढा के नेतृत्व में गवर्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन समिति बनी, उस पर चर्चा हुई और वर्तमान राज्यपाल जिस प्रकार से बोल रहे हैं, उनके करेक्टर पर भी यहां चर्चा होना बहुत जरूरी है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): चर्चा होगी सदन के अन्दर। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः अंकित नहीं हो रहा, माननीय सदस्य।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्षः कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्षः एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी के उप नेता माननीय तिवाड़ीजी ने जो फरमाया उसके सम्बन्ध में तिवाड़ीजी को मैं निवेदन करूं, इसके बाद कमेटी गठित की गयी थी। कमेटी में निर्णय हो गया था, कमेटी के उस निर्णय को आप देख लें। इस विषय पर कोई चर्चा की अनुमति नहीं दी जायेगी। ...(व्यवधान)... अंकित नहीं होगा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 000

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता है, कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): 000

Msr/usc/1140/1e/06012009/अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): 000

---

[000] अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): 000

श्री सुखराम (बसेड़ी): 000

श्रीमती प्रोमिला कुण्डारा (चाकसू): 000

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। ...(व्यवधान)... माननीय सदस्यगण, प्रश्न काल के महत्व को समझते हुए कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। ...(व्यवधान)... प्रश्न काल के महत्व को समझते हुए कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.41 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित हुई)

Ars/usc/1210/1h/06012009/1

(समय:)

(पुन: समवेत् होने पर)

(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रश्नोत्तर काल के दौरान जो मुद्दा उठाया गया महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए .....

श्री अध्यक्ष: उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। व्यवस्था दी जा चुकी है। माननीय सदस्य, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

---

000 अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.12 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई।)

vns/akt/13.10/6.1.2009/1o/1/

(13.12 बजे)
पुनः समवेत् होने पर
(श्री दीपेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्षः सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष जी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सॉरी..(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष):अध्यक्ष महोदय, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की एक सेमीनार गांधीजी ऑन टैरेरिज्म पर राज्यपाल महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया था जो मैं यह समझती हूं कि तथ्यों से बहुत ही परे है, पढ़ा हुआ है, आज अख़बार में भी आया था। सब पूर्व न्यायिक निर्णयों से वह परे है और सबसे हाईएस्ट कांस्टीट्यूशन आथोरिटी इस राज्य के हिसाब से ऐसा वक्तव्य उनको देना नहीं चाहिये था। मैं एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रामेश्वर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2006 को यहां कोट करना चाहूंगी..(व्यवधान) इसमें इन्होंने यह कहा है अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, इस पर व्यवस्था दी जा चुकी है..(व्यवधान) क्षमा चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इसको मैं निपटाना चाहूंगी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः इस पर व्यवस्था दी....(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): इनका कहना यह है सुप्रीम कोर्ट रूलिंग “It is a disturbing feature that Raj Bhawans are increasingly turning into extensions of Party Offices and the Governors are behaving like party functionaries of a particular party. This is not healthy for democracy. It is incumbent on each occupant of every high office to be constantly aware of the power and the high office he holds, that is meant to be exercised...” ....(interruptions)....

श्री अध्यक्षः एक मिनट। एक मिनट। यह मोबाइल की आवाज.. कहां है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर जो बने हैं अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर का फोन है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): आओ तलाशी ले लो।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): " ... only for public good."

श्री अध्यक्ष: चलिये।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): It also says.... देखिये अध्यक्ष महोदय का बहुत अच्छा manner of diverting attention, I must admit but I think, यह बहुत जरूरी है कि इस चीज के ऊपर अपन सब लोग ध्यान दें और अच्छी तरह से ध्यान दें। This is Supreme Court's ruling और उनका यह कहना है कि सरकारिया कमीशंस की रिपोर्ट में it was lamented that "Some Governors were not displaying the qualities of impartiality and sagacity that is expected of them. This situation does not seem to have improved since then." यह उनका कहना है और मैं समझती हूं कि ऐसी स्थिति में इस तरीके से स्टेटमेंट देना यह पूरे राजस्थान के लिये ही क्या हमारे इस हाउस की गरिमा को भी....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस पर अब चर्चा नहीं। व्यवस्था दी जा चुकी है...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता,प्रतिपक्ष): और इसीलिये मैं यह कहना चाहूंगी कि पूरे सदन की ओर से इस स्टेटमेंट की भर्त्सना करनी चाहिये...(व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: अगला। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री शांति कुमार धारीवाल, उद्योग मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

आबकारी विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या: एफ.11(32)एफडी/एक्स/05 दिनांक 27 अगस्त, 2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.11(32)एफडी/एक्स/05 दिनांक 10.7.2007 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(7)एफडी/एक्स/05 दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.1(2)एफडी/एक्स/05 दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या: एफ.1(2)एफडी/एक्स/05 दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 जिसके द्वारा राज्य सेवा में पॉच वर्ष का अनुभव रखने वाले थानाधिकारियों को नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रिक सब्टेन्स एक्स, 1985 के अन्तर्गत अपराधों की जॉच हेतु अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

श्री अध्यक्ष: श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री।

राजस्व विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्व विभाग की दो अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या: एफ.9(42)रेव-6/08/18 दिनांक 29.7.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों,कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमि के आवंटन) नियम, 1963 में संशोधन किये गये है ;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.9(101)रेव-6/2008/20 दिनांक 17.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि रूपान्तरण), नियम, 2007 में संशोधन किया गया है ;

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या: एफ.4(16)लीगल/एएम/रूल्स/पीआर/2008/3136 दिनांक 12.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)लीगल/एएम/ईई/पीआर/2008/3101 दिनांक 8.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.4(12)पीआरडी/लीगल/रूल/एमेन्ड/08/2362 दिनांक 25 जून,2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ;

4- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14)लीगल/एएम/ईई/पीआर/2008/2691 दिनांक 8.8.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 में संशोधन किया गया है ;

5- अधिसूचना संख्या: एफ.4(13)पीआरडी/लॉ/रूल/एमेन्ड/07/1301 दिनांक 4.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज (चुनाव) नियम, 1996 में संशोधन किया गया है ;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.4(34)पीआरडी/लॉ/सैक/सर्विस-रूल/एमेन्ड /07/1391 दिनांक 17.4.2008 जिसके द्वारा राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में संशोधन किया गया है ;

7- अधिसूचना संख्या: एफ.4(14) लीगल/ एमेन्ड/ ईई/ पीआर/ जेडएनपी/ 2008/1519 दिनांक 25.4.2008 जिसके द्वारा राजस्थान पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम, 2008 विरचित किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा, परिवहन मंत्री।

परिवहन विभाग

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- अधिसूचना संख्या: एफ.6(62)परि/कर/मु0/08 दिनांक 18.7.2008 जिसके द्वारा माँ माधुरी बृज वारिस सेवा सदन, बझेरा, भरतपुर के वाहन को सशर्त कर मुक्त किया गया है ;

2- अधिसूचना संख्या: एफ.6(260)परि/कर/मु0/05 दिनांक 18.7.2008 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(260)परि/कर/मु0/05 दिनांक 23.4.2008 में संशोधन किया गया है ;

3- अधिसूचना संख्या: एफ.6(97)परि/कर/मु0/08 दिनांक 27.8.2008 जिसके द्वारा डबल डेकर वाहन आर.जे.1-पी-2412 को सशर्त कर में छूट प्रदान की गई है;

4- अधिसूचना संख्या: एफ.6(75)परि/कर/मु0/08 दिनांक 30.8.2008 जिसके द्वारा रामदेवरा मेले में आने-जाने वाली यात्री वाहनों के कर में छूट प्रदान की गई है ;

5- अधिसूचना संख्या: एफ.6(208)परि/कर/मु0/08 दिनांक 2.12.2008 जिसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटोरिक्शा एवं मोटर कैब के कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है ;

6- अधिसूचना संख्या: एफ.7(3)परि/रूल्स/एचक्यू/1995 दिनांक 4.9.2008 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 2008 विरचित किये गये है ;

प्रतिवेदन एवं लेखे

हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008

श्री अध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शांति कुमार धारीवाल।

श्री शांती कुमार धारीवाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ;

राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-08

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 ।

श्री अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र सं.1)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 06 जनवरी, 2009 को प्रात: 10.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 07 जनवरी, 2009 से 10 जनवरी, 2009 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:-

बुधवार, दिनांक 07 जनवरी, 2009	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।
गुरुवार, दिनांक 08 जनवरी, 2009	बैठक नहीं होगी
शुक्रवार, दिनांक 09 जनवरी, 2009	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद।

शनिवार, दिनांक 10 जनवरी, 2009	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेत्तर वाद-विवाद व राज्य सरकार की ओर से उत्तर।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सहमति प्रदान की गयी।

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पद वाद विवाद के लिए समय का बंटवारा

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का कार्य भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हं:-

श्याम/अरूण 06.01.2009 13.20 1p अशोधित प्रति/प्रकाशनार्थ नहीं

इंडियन नेशनल कांग्रेस	7 घंटे 40 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	6 घंटे 15 मिनट
बहुजन समाजवादी पार्टी	29 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी(मार्क्सवादी)	15 मिनट
जनता दल(यूनाइटेड़)	5 मिनट
समाजवादी पार्टी	5 मिनट
लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	5 मिनट
निर्दलीय	1 घंटा 6 मिनट

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। डॉ. रघु शर्मा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप से धन्यवाद प्रस्तुत किया जाये' इस सत्र में

एकत्रित हम राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण राज्यपाल महोदय द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं'।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी)

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव को अग्रेत्तर चर्चा के लिए प्रस्तुत करता हूं। राजस्थान में इस अभिभाषण के माध्यम से कांग्रेस की सरकार ने एक सशक्त और नया राजस्थान बनाने का जो पैगाम दिया है, एक संवेदनशील, पारदर्शी, उत्तरदायी और गतिशील प्रशासन देने का वादा किया है। अध्यक्ष महोदय, शांति, समृद्दि, सांप्रदायिक सौहार्द की बहाली तथा प्रदेश के विभिन्न सामाजिक घटकों में आपसी सामाजिक सदभाव और भाईचारे में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए आज यह सरकार कृतसंकल्प है ...(व्यवधान)... समरसता का राजस्थान होगा, जो विकास के समान अवसर ...(व्यवधान)... एक ऐसा राजस्थान होगा और कर्मचारियों के हितों का राजस्थान होगा ...(व्यवधान)... उसका मूर्त राजस्थान होगा ...(व्यवधान)... आधुनिक विकास का राजस्थान होगा। आदरणीय सभापति महोदय, आने वाले पाँच वर्षों में ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सभापति महोदय नहीं अध्यक्ष महोदय।

डॉ. रघु शर्मा (केकड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आने वाले पाँच वर्षों में विकास का जो खाका कांग्रेस की सरकार ने रखा है ...(व्यवधान)... मैं उसके लिये आदरणीय राज्यपाल महोदय को सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं ...(व्यवधान)... हमारे साथी लोग बोल रहे थे ...(व्यवधान)...

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी जारी)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री अध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले पाँच साल में राजस्थान की जनता ने ...(व्यवधान)... जिस प्रकार से झूठे वायदे करके, जनता को जिस हद तक कष्ट दिया है ...(व्यवधान)... यह एक उदाहरण है ...(व्यवधान)... यह झूठे वायदे थे ...(व्यवधान)... जिस तरह से पाँच सालों में मजदूरी देते थे ...(व्यवधान)... इन्होंने यह बताया है कि ढाई लाख लोगों को रोजगार दिया है यह बिलकुल गलत है, यह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ...(व्यवधान)... इन्होंने 61 वायदे किये थे और 61 घोषणाएं की थी, इन्होंने जनता को भ्रमित किया है ...(व्यवधान)... दूसरी ओर कांग्रेस सरकार ने ज्यों ही वह सरकार में आयी तो आते ही उन्होंने घोषणा-पत्र को सरकारी दस्तावेज करार दिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 7 जनवरी, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.25 बजे बुधवार, दिनांक 7 जनवरी, 2009 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)